

प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 19.03.2023

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में देशी कच्ची अपमिश्रित शराब पर रोकथाम तथा उस धंधे में संलिप्त एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के निकट पर्यवेक्षण में तथा मदन मोहन मिश्र थानाध्यक्ष गीडा के कुशल निर्देशन में उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 कमलेश कन्नौजिया, हे0का0 अतुल यादव, हे0का0 अनिल चौधरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. भोला निषाद पुत्र रंजीत निषाद निवासी राजघाट पुरानी चुंगी हर्वट बंधा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर 2. राज निषाद पुत्र प्रकाश निषाद निवासी राजघाट चकरा औवल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तगण के कब्जे से 04 जरिकेन में कुल 60 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, एक पालिथिन में 2 किग्रा0 यूरिया व एक पालिथीन में 500 ग्राम नौसादर बरामद हुआ जिसके संबंध में थाना गीडा पर मु0अ0सं0 156/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. भोला निषाद पुत्र रंजीत निषाद निवासी राजघाट पुरानी चुंगी हर्वट बंधा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2. राज निषाद पुत्र प्रकाश निषाद निवासी राजघाट चकरा औवल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी- 4 जरिकेन में कुल 60 अपमिश्रित कच्ची शराब, एक पालिथिन में 2 किग्रा0 यूरिया व 500 ग्राम0 नौसादर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 156/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. हे0का0 अनिल चौधरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 अतुल यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 कमलेश कन्नौजिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर